

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2192] No. 2192] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त ८, २०१७/श्रावण १७, १९३९

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

का.आ. 2493(अ).—केन्द्र सरकार, वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 35 के उप-नियम (1) के साथ पठित, वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार की दिनांक 3 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 2115(अ) में आगे संशोधन करने के बाबत निम्नलिखित संशोधन करती है नामत::-

- 2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 हेतु तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए नामत:
 - "3. सुश्री माला मोहन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों की प्रतिनिधि"

[फा.सं. 4-29/2010-टीएस-VI]

आर. सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई, 2013 को सं. का.आ. 2115(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा दिनांक 5 मार्च, 2014, सं.का.आ. 664(अ), दिनांक 2 नवम्बर, 2015 सं. का.आ. 2980(अ) और दिनांक 9 मई 2016 की सं.का.आ. 1681(अ) दिनांक 28 नवंबर, 2016 की सं. का.आ. 3570(अ) और दिनांक 30 मार्च, 2017 की सं.का.आ. 1014 (अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

4763 GI/2017 (1)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2017

- **S.O. 2493(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 44 of the Architects Act, 1972, (20 of 1972) read with sub-rule (1) of rule 35 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) Number S.O.2115(E), dated the 3rd July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th July, 2013, namely:-
- 2. In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
 - "3. Ms. Mala Mohan-Representing Ministries of Central Government.".

[F. No. 4-29/2010-TS.VI]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.2115(E), dated the 10th July, 2013 and amended vide number S.O.664(E), dated the 5th March, 2014, number S.O.2980(E), dated the 2nd November, 2015, number S.O.1681(E), dated the 9th May, 2016, number S.O.3570(E), dated the 28th November, 2016 and number S.O.1014(E), dated the 30th March, 2017.